<u>अतिमहत्वपूर्ण/समयबद्ध</u>

<u>संख्या-9/2016/378/35-3-2016-1(51)/2015</u>

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव**,**
उत्तर प्रदेश शासन।

सेंवा में

1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

2- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

<u>नियोजन अनुभाग-3</u> **<u>लखनऊ:दिनांक 18 फरवरी, 2016</u>**

<u>विषय:</u> नागरिकता अधिनियम-1955 के अन्तर्गत नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर-1955 (एनआरसी) को अद्यतन करने से संबंधित असम राज्य में निवास कर रहे निवासियों के द्वारा असम सरकार एवं राज्य समन्वयक (एनआरसी) असम के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों के सत्यापन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में यह अवगत कराना है कि असम राज्य में सन 1951 में तैयार नागरिकों के राष्ट्रीय रिजस्टर-1955 को अद्तन करने का कार्य किया जा रहा है। यह एक समयबद्ध कार्य है। इस हेतु वर्तमान में निवास कर रहे निवासियों के द्वारा प्रस्तुत किए दस्तावेजों (अनुलग्नक-1) के द्वारा उनके असम राज्य अथवा देश के किसी भी हिस्से में उनकी उपस्थिति की पुष्टि की जानी है। इस क्रम में असम सरकार एवं राज्य समन्वयक (एनआरसी), असम के समक्ष प्रस्तुत ऐसे दस्तावेजों को जो उनके राज्य के बाहर से जारी किये गये हैं, को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को सत्यापन हेतु प्रेषित करेंगे। अपर सचिव एवं महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-9/56/2014-सीआरडी(एनपीआर) दिनांक 22.01.2016 में राज्य सरकार को यह निर्देश है कि अनुलग्नक-1 में इंगित एनआरसी असम से संबंधित प्राप्त दस्तावेजों यथा- बर्थ सर्टिफिकेट, भू-अभिलेख, बोर्ड/यूनिवर्सिटि सर्टिफिकेट, इलेक्टोरल रोल, राशन कार्ड, सर्किल आफिसर/ग्राम पंचायत सचिव द्वारा विवाहित महिलाओं को प्रदत्त सर्टिफिकेट इत्यादि का 20 दिवसों के अन्दर सत्यापन कराकर असम सरकार को इस कार्य में सहयोग प्रदान किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- अतएव आपसे अनुरोध है कि अनुलग्नक-1 में इंगित एनआरसी असम से संबंधित प्राप्त दस्तावेजों यथा- बर्थ सर्टिफिकेट, भू-अभिलेख, बोर्ड/यूनिवर्सिटि सर्टिफिकेट, इलेक्टोरल रोल, राशन कार्ड, सर्किल आफिसर/ग्राम पंचायत सचिव द्वारा विवाहित महिलाओं को प्रदत्त सर्टिफिकेट इत्यादि असम सरकार एवं राज्य समन्वयक (एनआरसी), असम से प्राप्त होने के 20 दिवसों के अन्दर सत्यापन कराकर असम सरकार को उपलब्ध कराते हुये इस कार्य में असम सरकार को सहयोग प्रदान किया जाना सुनिश्चित करायें।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव।

<u>संख्या-9/2016/378(1)/ 35-3-2016-1(51)/2015 तददिनांक</u>

प्रतिलिपि: निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अपर सचिव एवं भारत सरकार के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, गृह मंत्रालय, 2-ए मानसिंह, रोड नई दिल्ली-110011।
2- निजि सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन ।
3- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4- निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उत्तर प्रदेश।
5- संयुक्त निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ को उनक पत्रांक डीसीओ-यूपी/35-2011/एनपीआर-44 दिनांक 10.02.2016 के सन्दर्भ में।
6- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(नवीन चन्द्र त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।